भण्डार क्रय संगठन

परिचय

भण्डार क्रय संगठन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अधीन एक अनुभाग है, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हेतु दवाईयों, औजार, उपकरण आदि के लिए निविदाऐं आमंत्रित कर दर संविदा का कार्य सम्पादित किया जाता है। इस अनुभाग का कार्य निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के अधीन मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रय संगठन के निर्देशन में सम्पादित किया जाता है।

निविदाऐं आमंत्रित करने के पश्चात निविदाओं के साथ प्राप्त दस्तावेजों की जांच कर तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार कर भण्डार क्रय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात दर अनुमोदन के सम्बन्ध में भण्डार क्रय समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उसकी क्रियान्विति भण्डार क्रय संगठन द्वारा की जाती है।

अनुमोदित आईटमों के लिए संबंधित अनुमोदित फर्म से नियमानुसार अनुबंध करवा कर दर संविदा जारी की जाती है। उक्त दर संविदा की प्रति विभाग के सभी प्रमुख क्रयकर्ता अधिकारियों एवं संयुक्त निदेशकों को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाई जाती है। संयुक्त निदेशक भण्डार कय संगठन द्वारा जारी की गई दर संविदा की प्रति को आगे अपने अधीनस्थ कयाधिकारियों को भेजने के लिये उत्तरदायी होते है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट पर भी दर संविदा अपलोड की जाती है। जिसके आधार पर क्रयकर्ता अधिकारियों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रय आदेश जारी किये जा सकते हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भण्डार क्रय समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.05.98 के द्वारा किया गया था किन्तु समय–समय पर भण्डार क्रय समिति के सदस्यों की संख्या मे राजकीय निर्देशों के अनुसार वृद्धि/कमी की जाती रही है। वर्तमान मे एसपीसी मे अध्यक्ष सहित निम्न 9 सदस्य हैं :–

1.	मिशन निदेशक (एनआरएचएम)।	अध्यक्ष
2.	निदेशक (जन स्वास्थ्य) चि0 एवं स्वा0 सेवायें, राज0 जयपुर।	सदस्य
3.	निदेशक (आरसीएच/प0 क0) चि0 एवं स्वा0 सेवायें, राज0 जयपुर।	सदस्य
4.	निदेशक (एड्स) चि0 एवं स्वा0 सेवायें, राज0 जयपुर।	सदस्य
5.	प्राचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर।	सदस्य
6.	औषधि नियंत्रक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान।	सदस्य
7.	वित्तीय सलाहकार निदेशालय, चि0एवंस्वा0 सेवायें, राज0 जयपुर।	सदस्य
8.	आयुक्त उद्योग विभाग का प्रतिनिधि।	सदस्य
9.	सचिव, भण्डार क्रय संगठन।	सदस्य सचिव

दर मे समान रूपता बनाये रखने के उद्देश्य से निदेशालय के अन्तर्गत भण्डार कय संगठन के द्वारा औजार एवं उपकरणों तथा भेषज एवं औषधियों की निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। भण्डार कय संगठन द्वारा जारी दर संविदा पर राजकीय चिकित्सालयों के सक्षम कयाधिकारियों द्वारा कयादेश जारी किये जा सकते है। राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविधालयों से सम्बन्धित अस्पतालों के सक्षम कयाधिकारियों द्वारा भी भण्डार कय संगठन की दर संविदा पर कयादेश जारी किये जा सकते है।